भारत सरकार

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 923

दिनांक 07 फरवरी, 2020 को उत्तर के लिए

वैश्विक लिंग अंतर सूचकांक

923. श्री कोथा प्रभाकर रेड्डीः

श्री एन॰ रेड्डप्पः

श्रीमती वांगा गीता विश्वनाथः

क्या महिला और बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या भारत विश्व आर्थिक मंच द्वारा प्रकाशित लिंग अंतर सूचकांक में 2018 में अपने 108वें स्थान से गिरकर 112वें स्थान पर आ गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ख) महिलाओं के समान अधिकार, अवसर और संसाधनों तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या सरकार ने देशभर में श्रम बल, शिक्षा प्राप्ति और राजनीतिक सशक्तीकरण के संदर्भ में महिलाओं की कम भागीदारी की ओर ध्यान दिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं को प्रोत्साहित करने और उनकी भागीदारी में वृद्धि करने के लिए किए गए प्रयासों को बढ़ावा देने की नीति में संशोधन करने की योजना बना रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

श्रीमती स्मृति ज़ुबिन ईरानी महिला एवं बाल विकास मंत्री

(क) : 2018 में विश्व आर्थिक मंच द्वारा प्रकाशित वैश्विक लैंगिक अंतर सूचकांक में विभिन्न पैरामीटरों के माध्यम से लैंगिक समानता की स्थिति के आधार पर 149 देशों को स्थान दिया गया है । इस सूचकांक में, लैंगिक समानता पर अपने प्रदर्शन के आधार पर भारत 108वें स्थान पर था । वैश्विक लैंगिक अंतर सूचकांक 2020 में, देशों की संख्या बढ़कर 153 (पिछले वर्ष से 4 देशों की वृद्धि) हो गई, जिसमें भारत का 112वां स्थान था । भारत के अंक 2018 में 0.665 से बढ़कर 2020 में 0.668 हो गए हैं ।

(ख) से (ड.) : भारत सरकार ने लिंग आधारित असमताओं को समाप्त करने, पुरुषों और महिलाओं के बीच असमानता को समाप्त करने, महिलाओं की सामाजिक-आर्थिक स्थिति सुधारने और विभिन्न क्षेत्रों में उनकी

सहभागिता बढ़ाने को अत्यंत प्राथमिकता दी है । भारत सरकार द्वारा महिलाओं को समान अधिकार, संसाधनों के लिए अवसर और पहुंच सुनिश्चित करने के लिए की गई कुछ प्रमुख पहलें निम्न प्रकार हैं :

i. संवैधानिक प्रावधान - अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15(3), अनुच्छेद 39ए और अनुच्छेद 42 में लिंग समानता सुनिश्चित करने के लिए महिलाओं के अधिकारों के लिए विशेष प्रावधान हैं ।
ii. विधायी प्रावधान - महिलाओं के अधिकारों के अधिदेश के लक्ष्य से दहेज प्रतिषेध अधिनियम, 1961; गर्भाधान-पूर्व और प्रसव-पूर्व नैदानिक अधिनियम(पीसीपीएनडीटी), 1994; कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न(निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013; समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976; न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 और मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961(2017 में संशोधित) ।
**iii.** स्कीमें/कार्यक्रम -

आर्थिक सहभागिता और अवसर : महिलाओं के विकास और सशक्तीकरण के आशय से चलाए जाने वाले विभिन्न कार्यक्रम/स्कीमें इस प्रकार हैं :

- बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ(बीबीबीपी) बालिका के संरक्षण, जीवन और शिक्षा को सुनिश्चित करती है ।
- महिला शक्ति केंद्र(एमएसके) का लक्ष्य ग्रामीण महिलाओं को कौशल विकास और रोज़गार के अवसरों से सशक्त बनाना है ।
- कामकाजी महिला हॉस्टल(डब्ल्यूडब्ल्यूएच) कामकाजी महिलाओं की संरक्षा और सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं ।
- महिला पुलिस वॉलेंटियर(एमपीवी) में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में महिला पुलिस वॉलेंटियरों के नियोजन से संबंधित हैं, जो पुलिस और समाज के बीच एक कड़ी का कार्य करती हैं और आपदाग्रस्त महिलाओं की सहायता करती हैं ।
- राष्ट्रीय महिला कोष(आरएमके) गरीब महिलाओं को विभिन्न आजीविका और आय सृजन गतिविधियों के लिए रियायती दरों पर सूक्ष्म ऋण उपलब्ध कराने वाला एक शीर्ष सूक्ष्म वित्तीय संगठन है ।
- राष्ट्रीय क्रैच स्कीम बच्चों को एक संरक्षित, सुरक्षित और उत्साहवर्धक वातावरण उपलब्ध कराते हुए महिलाओं को लाभदायक रोजगार सुनिश्चित करता है ।
- प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना का लक्ष्य गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को मातृत्व लाभ प्रदान करना है ।
- प्रधानमंत्री आवास योजना का लक्ष्य महिलाओं के नाम पर भी आवास सुविधा उपलब्ध कराना है ।
- दीन दयाल उपाध्याय राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन(डीएवाई-एनयूएलएम) कौशल विकास में महिलाओं के लिए कौशलों का सृजन करते हुए, बाजार आधारित रोजगार पर केंद्रित है ।
- प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना महिलाओं को नि:शुल्क एलपीजी सिलेंडर उपलब्ध कराकर उन्हें सशक्त बनाती है और उनके स्वास्थ्य की रक्षा करती है ।
- प्रधानमंत्री सुकन्या समृद्धि योजना - इस स्कीम के तहत लड़कियों को उनके बैंक खाते खोलकर आर्थिक रूप से सशक्त बनाया गया है ।

- महिला उद्यमिता : महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए, सरकार ने स्टैंड अप इंडिया और महिला ई-हाट(महिला उद्यमियों/एसएचजी/एनजीओ की सहायता के लिए ऑनलाइन मार्किटिंग प्लेटफार्म) जैसी स्कीमें शुरू की हैं । प्रधानमंत्री मुद्रा योजना(पीएमएमवाई) सूक्ष्म/छोटे कारोबारों को संस्थागत वित्तीय सुविधा प्रदान करती है ।

शैक्षणिक उपलब्धि :

स्कूली शिक्षा प्रणाली में राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचा(एनसीएफ) 2005 और समग्र शिक्षा और उसके तत्पश्चात शिक्षा का अधिकार अधिनियम(आरटीई) जैसे फ्लैगशिप कार्यक्रमों के रूप में भी अनेक उपाय और पहलें की गई हैं । शैक्षणिक रूप से पिछड़े ब्लॉकों(ईबीबी) में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय(केजीबीवी) लैंगिक संवेदीकरण में लैंगिक संवेदीकरण मॉड्यूल - सेवाकालीन प्रशिक्षण का भाग, लड़कियों के लिए शौचालयों का निर्माण, महिला शिक्षकों के लिए आवासीय क्वार्टरों का निर्माण और पाठ्यक्रम संबंधी सुधार शामिल हैं ।

राजनीतिक सहभागिता :

साथ ही महिलाओं को जमीनी स्तर पर राजनीतिक नेतृत्व की मुख्यधारा में लाने के लिए, सरकार ने पंचायती राज संस्थानों में महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित की हैं । महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा शासन प्रक्रियाओं में प्रभावी रूप से सहभागिता करने के लिए महिलाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों (ईडब्ल्यूआर) के क्षमता निर्माण का कार्यक्रम संचालित किया जाता है ।

*****